

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 2953 / 14-1 दिनांक, मेरठ 16, फरवरी, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि हस्तान्तरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- The proposal of Proposed Protected Forest land to be diverted for 220 KV for (765 KV Sub-Station) Meerut-Amroha Transmission Line in District-Hapur (0.0 Ha. PF) and no Forest Land (61.9955 Ha.) in Hapur District.
Proposal No.-FP/UP/TRANS/148929/2021.

संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 2556/14-1, दिनांक 14.02.2022।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ के संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि विषयांकित प्रस्ताव में कोई भी आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र नहीं पड़ रहा है, लेकिन हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत निजी कृषकों की भूमि का संरक्षित क्षेत्र आ रहा है, तत्सम्बन्धी प्रस्ताव भाग-2 में प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ द्वारा अपलोड कर दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार 03 प्रति में।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

संख्या- / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

Phone-0122-2300150

Fax-0122-2300150

E-mail-dfohapur@gmail.com

पत्रांक 2556 /14-1, दिनांक, हापुड़, 14, फरवरी, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त,
मेरठ।

विषय :-

The proposal of Proposed Protected Forest Land to be diverted for 220 KV for (765 KV) Sub-Station) Meerut- -Amroha Transmission Line in District-Hapur (0.0 Ha PF) and No Forest Land (61.9955 Ha) in Hapur District.
Proposal No. - FP/UP/TRANS/148929/2021

महोदय,

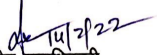
इस वन प्रभाग के अन्तर्गत विषयांकित प्रस्ताव में कोई भी आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र नहीं पड़ रहा है, लेकिन हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत निजी कृषकों की भूमि का संरक्षित क्षेत्र आ रहा है, तत्सम्बन्धी प्रस्ताव भाग-3 में अपलोड कर दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र 04 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। अतः प्रस्ताव उच्च स्तर को भेजने की कृपा करें।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

16/02/2022
DM/A
[Signature]
[Signature]

भवदीय,

[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

प्रमाणित किया जाता है कि Proposed Protected Forest Land to be diverted for 220 KV for (765 KV) Sub-Station) Meerut- -Amroha Transmission Line in District- Amroha(0.07 Ha PF) and No Forest Land (0Ha) in Hapur District, Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 में संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। निजी भूमि जो वन्यजीव विहार क्षेत्र के अन्तर्गत है का प्रयोग ही सुनिश्चित है। अतः प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।


प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग,
हापुड़।